ई-वाणिज्य व स्टार्टअप नीति का मसविदा जल्द होगा सार्वजनिक

इस पर लोगों से मांगे जाएंगे सुझाव, अभी तक देश में ई-वाणिज्य नीति नहीं

नई दिल्ली, 30 मई (भाषा)।

उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) टिप्पणियों व सुझावों के लिए जल्द ही ई-वाणिज्य नीति के मसौदे को सार्वजनिक करेगा। साथ ही उभरते उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इस बात पर विचार किया जा रहा है कि स्टार्टअप उपक्रमों को प्रत्यक्ष व परोक्ष कर व्यवस्था के तहत किस तरह की और छूट दी जा सकती हैं।

डीपीआइआइटी के सचिव गुरुप्रसाद महापात्रा ने राजस्थान सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आयोजित राजस्थान स्ट्राइड संगोष्ठी में कहा कि ई-वाणिज्य तेजी से उभरता क्षेत्र है। यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि अगले कुछ साल में यह किधर जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक देश में ई-वाणिज्य नीति नहीं है, लेकिन विभाग अब इस पर तेजी से काम कर रहा है।

महापात्रा ने यह भी बताया कि डीपीआइआइटी और राजस्व विभाग उभरते उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप उपक्रमों को प्रत्यक्ष व परोक्ष कर व्यवस्था के तहत दी जा सकने वाली छूटों के बारे में साथ मिलकर विचार कर रहा है। सरकार ने पिछले साल फरवरी में राष्ट्रीय ई-वाणिज्य नीति का मसौदा जारी किया था। उस मसौदे में दूसरे देशों के साथ डेटा प्रवाह पर रोक लगाने के लिए वैधानिक व तकनीकी रूपरेखा तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है। उस मसौदे में संवेदनशील डेटा को स्थानीय स्तर पर इकट्ठा करने और उन्हें देश से बाहर भंडारित करने के बारे में व्यवसायों के लिए शर्तों का भी प्रस्ताव किया गया है। उक्त मसौदे पर कई विदेशी ई-वाणिज्य कंपनियों ने आपत्ति जताई है।

महापात्रा ने कहा कि पिछले साल फरवरी में पहला मसौदा जारी करने के बाद आम चुनाव का समय आ गया। मसौदा नीति को लेकर कई आपत्तियां भी मिली हैं। उन्होंने कहा कि अब देश में स्पष्ट व निर्णायक ई-वाणिज्य नीति का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि दोनों विभाग मंत्रिमंडल को स्टार्टअप से संबंधित विस्तृत 'विजन डॉक्यूमेंट' सौंपने वाले हैं। दस्तावेज में कई कदम सुझाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि डीपीआइआइटी 'फंड ऑफ फंड्स' के जरिए स्टार्टअप उपक्रमों के लिए इस साल अधिक कोष मुहैया कराएगा। पिछले साल इस माध्यम से एक हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे। उन्होंने कहा- अभी राजस्व विभाग की कराधान टीम और डीपीआइआइटी की स्टार्टअप इंडिया टीम साथ मिलकर यह परख रही है कि प्रत्यक्ष व परोक्ष कर व्यवस्थाओं के तहत किस तरह की छूटें दी जा सकती हैं। हम विनिर्माण गतिविधियों में शामिल स्टार्टअप उपक्रमों को केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद योजना में जगह देकर उन्हें विपणन में भी मदद मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं।

डीपीआइआइटी सचिव ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में शामिल मुख्य उपायों में फंड ऑफ फंड्स के तहत उपलब्ध कोष को बढ़ाना, सीड मनी योजना, क्रेडिट गारंटी योजना और सभी विभागों के लिए इन्क्यूबेटर्स व हैंड होल्ड स्टार्टअप उपक्रमों को बढ़ावा देना अनिवार्य किया जाना आदि शामिल है। उन्होंने कहा- हम जो कर रहे हैं, वह दरअसल स्टार्टअप के लिए चीजों को आसान बनाना है।

वृद्धि दर में गिरावट के बावजूद उद्योग जगत अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने को लेकर आशावान

नई दिल्ली, 30 मई (भाषा)।

उद्योग जगत ने 2019-20 की मार्च तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर ग्यारह साल के निचले स्तर पर आ जाने पर चिंता व्यक्त की है हालांकि वे इस बात को लेकर आशावान हैं कि छह से नौ महीने में अर्थव्यवस्था वृद्धि की राह पर लौट जाएगी।

पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के शुक्रवार को जारी आंकड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उद्योग व वाणिज्य संगठन पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. डीके अग्रवाल ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह में सरकार ने कई सुधार किए हैं। हम इस बात को लेकर आशावान हैं कि पिछले कुछ समय में सरकार द्वारा किए गए सुधारों के दम पर 2020-21 के उत्तरार्द्ध में आर्थिक वृद्धि दर में सुधार होने लगेगा। सरकार ने कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए जीडीपी के 10 फीसद के बराबर का पैकेज घोषित किया है। यह पैकेज हमें वापस वृद्धि की राह पर ले आएगा।

सीआइआइ दिल्ली के चेयरमैन आदित्य बेरलिया ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक मुश्किलें इस साल की दूसरी छमाही में हल होने लगेंगी। उन्होंने कहा- यह भारत के लिए अभूतपूर्व संकट है। दशकों में ऐसी परिस्थितियां सामने नहीं आई हैं। इसके कारण उद्योग की कुछ श्रेणियों में पांच से 15 फीसद तक की गिरावट आ सकती है। सरकार ने मध्यम अवधि में सुधार करने वाले कदम उठाए हैं। हमारा मानना है कि इस साल की दूसरी छमाही में चीजें सुधरने लगेंगी। हालांकि हमें सरकार से कुछ ऐसे उपायों की उम्मीद है, जो उद्योग जगत को छह महीने में नहीं बल्कि अगले सप्ताह से मदद करने लगें।

निर्यातकों के संगठन ईईपीसी इंडिया के चेयरमैन रवि सहगल ने कहा कि निर्यात क्षेत्र भारत की जीडीपी में 19 फीसद से अधिक योगदान देता है। उन्होंने कहा- 2019-20 में निर्यात में 3.6 फीसद की गिरावट आई है। कोरोना महामारी के कारण सेवाओं का निर्यात अधिक प्रभावित हुआ है। चूंकि अप्रैल और मई के दौरान बंद के कारण निर्यातकों पर काफी असर पड़ा है, नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में निर्यात पर असर अधिक रहने वाला है।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य अर्थशास्त्री निखिल गुप्ता ने कहा कि चौथी तिमाही की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर हमारे 1.2 फीसद के पूर्वानुमान की तुलना में काफी बेहतर 3.1 फीसद रही है। यह पिछली तिमाही की 3.5 फीसद की वृद्धि दर से कुछ ही कम है, लेकिन यह 11 साल का निचला स्तर भी है। कृषि क्षेत्र में उम्मीद से बेहतर वृद्धि और राजकोषीय खर्च अधिक होने से कुल वृद्धि दर अच्छी रही है। हालांकि हमें नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी में 21 फीसद की गिरावट आने की आशंका है।

एमकेय वेल्थ मैनेजमेंट के शोध प्रमुख जोसेफ थॉमस ने कहा कि मार्च तिमाही में वृद्धि दर कम होकर 3.1 फीसद पर आ जाने से पिछले दो साल से कायम आर्थिक सुस्ती का पता चलता है। अप्रैल में मुख्य क्षेत्रों में 38 फीसद की गिरावट आई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंद ने अर्थव्यवस्था पर किस तरह असर डाला है। हमारा अनुमान है कि 2020-21 की पहली तिमाही में वृद्धि दर नकारात्मक रह सकती है।

कोरोना से मृत महिला की अंत्येष्टि में शामिल 18 लोग हुए संक्रमित

ठाणे, 30 मई (भाषा)।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर उपनगर में कोरोना से मृत 40 वर्षीय एक महिला की अंत्येष्टि में शामिल हुए 18 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक निकाय अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उल्हासनगर नगर निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर कम से कम 70 लोग महिला की अंत्येष्टि में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि महिला की मौत से पहले उसमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। अधिकारी ने कहा कि महिला के शव को परिवार को सौंपे जाने के साथ सख्त हिदायत दी गई थी कि शव के बैग को न खोला जाए लेकिन मृतका के परिजनों ने 25 मई को बैग खोलकर अंतिम संस्कार किया।

अधिकारी ने कहा कि अंत्येष्टि के बारे में सबसे पहले पुलिस को बताया गया जिसके बाद निकाय अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। उन्होंने कहा कि मृतका के नजदीकी रिश्तेदारों समेत 70 लोगों के नमूने जांच के वास्ते लिए गए थे जिनमें से 18 में शुक्रवार को संक्रमण की पुष्टि हुई। अधिकारी ने कहा कि महामारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मृतका के परिजनों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।

राजस्थान में कल से खुल जाएंगे स्मारक व संग्रहालय

जयपुर, 30 मई (भाषा)।

राजस्थान में ऐतिहासिक स्मारक व संग्रहालय पूर्णबंदी के लगभग ढाई महीने के बाद सोमवार से फिर खुल जाएंगे। पहले दो सप्ताह पर्यटकों के लिए प्रवेश निशुल्क रहेगा। सरकार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के प्रयासों के तहत राज्य सरकार ने सभी संग्रहालयों व स्मारकों में पर्यटकों के प्रवेश पर 18 मार्च से रोक लगा दी थी। अब इसे हटाने का फैसला किया गया है।

राज्य के पुरातत्त्व व संग्रहालय विभाग ने इस बारे में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। विभाग के निदेशक प्रकाश चंद्र शर्मा के अनुसार पहले दो सप्ताह में सभी स्मारक व संग्रहालय हफ्ते में चार दिन पुनर्निर्धारित समय के लिए खुलेंगे जबकि बाद में इन्हें नियत समयानुसार कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक जून से शुरू होने वाले पहले सप्ताह में ये स्मारक व संग्रहालय चार दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार व रविवार को सुबह नौ से दो बजे तक खुलेंगे। वहीं अगले एक सप्ताह ये इन्हीं चार दिन को सुबह नौ से दोपहर एक बजे व सायं तीन से पांच बजे तक खुलेंगे। जिन स्मारकों के प्रवेश शुल्क लगता है वहां इन दिनों घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश निशुल्क होगा।

विभाग के मुताबिक वहीं तीसरे सप्ताह से सभी स्मारक व संग्रहालय सुबह नौ से दोपहर एक बजे व सायं तीन से पांच बजे तक नियमित रूप से खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान घरेलू और विदेशी पर्यटकों को निर्धारित प्रवेश शुल्क में 50 फीसद छूट दी जाएगी। इस दौरान कर्मचारियों व

आईओवी रजिस्टर्ड वैल्युअर्स फाउण्डेशन
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट 3, II रा तल, अग्रवाल स्क्वॉयर, एलएससीजेएन ऑफ 80 फीट रोड, परवाना रोड, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
CIN:U93090DL2017NPL327392; ईमेलः compliance@iovrvf.org

पोस्टल बैलॅट सूचना

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा-संशोधित (''नियमावली'') तथा कोविड-19 को देखते हुए साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020 तथा साधारण सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 के माध्यम से साधारण सभाओं के आयोजन/पोस्टल बैलॅट प्रक्रिया के संचालन के लिये कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा निर्दिष्ट दिशा निर्देशों ('एमसीए सर्क्युलर्स') के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 110 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी के मेमोरैण्डम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन के लिये प्रस्तावित विशेष प्रस्ताव के लिये सदस्यों की सहमति प्राप्त करने के लिये ऐसे सभी सदस्यों जिनके ईमेल आईडी कम्पनी में पंजीकृत हैं, को शनिवार, 30 मई, 2020 को पोस्टल बैलॅट सूचना तथा पोस्टल बैलॅट प्रपत्र का प्रेषण पूरा कर लिया है। पोस्टल बैलॅट सूचना तिथि 30 मई, 2020 तथा पोस्टल बैलॅट प्रपत्र कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.iovrvf.org पर उपलब्ध है।
2. पोस्टल बैलॅट द्वारा मतदान से संबंधित किसी प्रश्न अथवा समस्याओं के लिये सदस्य श्री विनय गोयल, एमडी एवं सीईओ, आईओवी रजिस्टर्ड वैल्युअर्स फाउण्डेशन, प्लॉट 3, II रा तल, अग्रवाल स्क्वॉयर, एलएससी जेएन ऑफ 80 फीट रोड, परवाना रोड, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, टेलीः +91-9499491010; ईमेलः compliance@iovrvf.org से सम्पर्क कर सकते हैं।
3. पोस्टल बैलॅट मतदान सोमवार, 1 जून, 2020 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा मंगलवार, 30 जून, 2020 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। 30 जून, 2020 को 5.00 बजे अप. के बाद पोस्टल बैलॅट पूरी तरह से अवैध माना जायेगा।
4. स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलॅट प्रक्रिया के संचालन के लिये कम्पनी की अधिशासी मंडल ने मै. मोहित सिंघल एंड एसोसिएट्स (प्रॉप. श्री मोहित सिंघल) (सीपी नं. 15995), कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
5. कोविड-19 द्वारा उत्पन्न चुनौती के कारण कूरिअर सेवाओं के अनुपलब्धता के कारण सदस्यों से आग्रह है कि पोस्टल बैलॅट प्रपत्र में वर्णित निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें तथा csmohitsinghal@gmail.com पर ईमेल द्वारा विधिवत पूर्ण तथा हस्ताक्षरित प्रपत्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में अपना मतदान इस प्रकार करें ताकि वह 30 जून, 2020 को कार्यालय अवधि की समाप्ति (अर्थात् 5.00 बजे अप.) तक पर्यवेक्षक के पास पहुंच जाये।
6. पोस्टल बैलॅट परिणाम की घोषणा बुधवार, 01 जुलाई, 2020 को 5.00 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में की जायेगी। इन परिणामों को कम्पनी की वेबसाईट www.iovrvf.org पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

आईओवी रजिस्टर्ड वैल्युअर्स फाउण्डेशन के लिये
विनय गोयल
एमडी एवं सीईओ
DIN:01041231

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 30.5.2020

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
विज्ञप्ति

मैं संयुक्त सचिव/प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति विभागीय कारणों से उ0प्र0 रेरा में पंजीकृत 03 परियोजनाओं क्रमशः AFFORDABLE HOUSING SCHEME **शताब्दीनगर** (संख्या UP RERA PRJ8453), AFFORDABLE HOUSING SCHEME **लोहियानगर** (संख्या UP RERA PRJ8659) एवं AFFORDABLE HOUSING SCHEME **लोहियानगर** (संख्या UP RERA PRJ9554) को **सरेण्डर/कैन्सिलेशन/निरस्तीकरण** करा रहा हूँ। किसी व्यक्ति/संस्था आदि द्वारा इस परियोजना में यदि कोई बुकिंग करायी गई हो तो कृपया अपना क्लेम/दावा प्रस्तुत करें। उक्त क्लेम/दावा को विवरण सहित 15 दिनों के अन्दर यूपी रेरा की ईमेल आईडी **contactuprera@up-rera.in** पर भेजा जाए तथा क्लेम/दावा विवरण को सचिव, उ0प्र0 रेरा मुख्यालय, नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007 को प्रेषित किया जाए।

संयुक्त सचिव/
प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
Advt. No.: 01/MDA/20-21

नियुक्तियां

Guru Gobind Singh Indraprastha University
Sector 16C, Dwarka, New Delhi-110078
Website: www.ipu.ac.in

Employment Notice

Guru Gobind Singh Indraprastha University invites applications on prescribed format from eligible and willing candidates to fill-up the post of Placement Officer in the University on Contract basis.

For further details/information, kindly visit the University's website, viz, www.ipu.ac.in. Last date for submission of application on prescribed format is **12.06.2020 upto 5:00 pm.**

Jt. Registrar (Pers.)

तीन भारतीय कंपनियों को नासा से वेंटिलेटर विनिर्माण का लाइसेंस

वाशिंगटन, 30 मई (भाषा)।

तीन भारतीय कंपनियों को अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी व अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) से कोविड-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर के विनिर्माण का लाइसेंस मिला है। ये तीन भारतीय कंपनियां- अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लि., भारत फोर्ज लि. और मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लि. हैं।

नासा की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में यह जानकारी दी गई है। तीन भारतीय कंपनियों के अलावा 18 अन्य कंपनियों को भी यह लाइसेंस मिला है। इनमें आठ अमेरिका और तीन ब्राजील की कंपनियां शामिल हैं। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष अनुसंधान, वैमानिकी और संबंधित कार्यक्रमों की स्वतंत्र एजंसी है। नासा ने दक्षिण कैलिफोर्निया की जेट प्रोपल्शन लैब में कोरोना मरीजों के लिए विशेष रूप से वेंटिलेटर विकसित किया है।

जेएलपी के इंजीनियरों ने एक माह से कुछ अधिक समय में इस विशेष वेंटिलेटर 'वाइटल' को डिजाइन किया है। इसे अमेरिका के खाद्य व दवा प्रशासन से 30 अप्रैल को आपात प्रयोग की अनुमति मिल चुकी है। नासा का कहना है कि वाइटल को चिकित्सकों और चिकित्सा उपकरण विनिर्माण से सलाह लेकर विकसित किया गया है।

येस बैंक ने डिश टीवी की 24 फीसद हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया

नई दिल्ली, 30 मई (भाषा)।

निजी क्षेत्र के यस बैंक ने डिश टीवी की 24 फीसद से अधिक हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की शनिवार को जानकारी दी। बैंक ने कहा कि डिश टीवी व कुछ अन्य कंपनियों ने ये शेयर कर्ज के एवज में गिरवी रखे थे। कर्ज के भुगतान में चूक के कारण इन शेयरों का अधिग्रहण किया गया है।

बैंक ने शेयर बाजारों को बताया कि 24.19 फीसद हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है। उसने कहा कि ये 44,53,48,990 शेयर हैं। कर्ज का समय पर भुगतान नहीं होने के कारण इन शेयरों का अधिग्रहण किया गया है। बैंक ने बताया कि एस्सेल बिजनेस एक्सीलेंस सर्विसेज, एस्सेल कॉरपोरेट रिसॉर्सेज, लिविंग एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, पैन इंडिया नेटवर्क इंफ्रावेस्ट, आरपीडब्ल्यू प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट, मुंबई डब्लूटीआर और पैन इंडिया इंफ्राप्रोजेक्ट्स को दिए गए कर्ज की किस्तों के भुगतान में भी चूक हुई हैं।

RELIGARE
Values that bind

रेलिगेयर एण्टरप्राईजेज लिमिटेड
CIN:L74899DL1984PLC146935
पंजी. कार्यालयः 1ला तल, पी-14, 45/90, पी-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
Phone: +91-11-40021400, Fax No.: +91-11-40021401
Website: www.religare.com, email: Investorservices@religare.com

पोस्टल बैलॅट का परिणाम

उसके अंतर्गत जारी नियमों एवं साधारण सभाओं पर इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयी मानक-II तथा साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020 तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी साधारण सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 (''एमसीए सर्क्युलर्स'') के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा 110 के अनुपालन में पोस्टल बैलॅट सूचना तिथि 23 अप्रैल, 2020 के अनुसार तथा पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के आधार पर पोस्टल बैलॅट (ई-वोटिंग द्वारा) का परिणाम घोषित किया गया तथा शुक्रवार, 29 मई, 2020 को स्टॉक एक्सचैंजों में जमा किया गया। पोस्टल बैलॅट परिणाम का सारांश इस प्रकार हैः

विवरण	कम्पनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डा. रश्मि सलूजा (DIN:01715298) की नियुक्ति की स्वीकृति के लिये विशेष प्रस्ताव			कम्पनी की चालू निर्गत शेयर पूंजी के 1% के बराबर अथवा अधिक में कर्मचारी (रियों) के लिये रेलिगेयर एण्टरप्राईजेज लिमिटेड कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन प्लान 2019 (''REL ESoP2019/स्कीम'') की स्वीकृति के अनुमोदन के लिये विशेष प्रस्ताव		
	पोस्टल बैलॅट	ई-वोट्स	% शत	पोस्टल बैलॅट	ई-वोट्स	% शत
सहमति	एनए	14,83,43,575	84.18	एन.ए.	14,82,37,986	84.12
असहमति	एनए	2,78,76,055	15.82	एन.ए.	2,79,81,644	15.88
कुल	एनए	17,62,19,630	100	एन.ए.	17,62,19,630	100

तदनुसार, पोस्टल बैलॅट सूचना तिथि 23 अप्रैल, 2020 में निर्दिष्ट प्रस्ताव को इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी साधारण सभाओं पर सचिवालयी मानकों (एसएस-2) के अनुसार गुरुवार, 28 मई, 2020 जो ई-वोटिंग के लिये विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि है, को वांछित बहुमत के साथ सदस्यों द्वारा पारित किया गया तथा उसे पारित माना गया है।

निदेशक मंडल के आदेश से
रेलिगेयर एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
रीना जायरा
कम्पनी सचिव

तिथिः 31 मई, 2020
स्थानः नई दिल्ली

RAJASTHAN RENEWABLE ENERGY CORPORATION LIMITED
(A Government of Rajasthan Undertaking)
E-166, Yudhishthir Marg, C-Scheme, Jaipur CIN No U40101RJ1995SGC009847
Tel: 0141-2225859/2228198/2221650 Fax: 0141-2226028

Notice Inviting Applications

Applications on contractual basis are invited (NIB No 2020-21/04) for hiring services of consultants for the work of Energy Conservation activities/programs. The interested applicants may visit website www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl and http://sppp.rajasthan.gov.in for details. The detailed document may be downloaded from given website from 03.06.2020.

Raj.Samwad/C/20/461 Director (Tech.)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
एक परिवार एक बैंक

प्रधान कार्यालय : निगमित सेवाएं विभाग
'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे-05.
फोन : 020-25537239/240

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र संपूर्ण भारत में बैंक की शाखाओं /कार्यालयों के लिए यूपीएस और बैटरियों की आपूर्ति के लिए दर अनुबंध और यूपीएस तथा बैटरियों के मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को पैनल में शामिल करने हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है। संभावित बोलीदाता बैंक की वेबसाइट **www.bankofmaharashtra.in** से आरएफपी का निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। बोलीपूर्व बैठक 09/06/2020 को आयोजित की जाएगी। आरएफपी प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि 15/06/2020 को सायं 4:00 बजे तक है। तकनीकी बोलियां 16/06/2020 को दोपहर 3:00 बजे खोली जाएंगी और बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे इस कार्य हेतु उपस्थित रहें।

उप महाप्रबंधक, निगमित सेवाएं

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
डायनैमिक टेक्स्टबुक्स प्रिन्टर्स प्रा.लि. (कॉर्पोरेट ऋणधारक) के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	डायनैमिक टेक्स्टबुक्स प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	11 मार्च, 1982
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U22219DL1982PTC013271
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः 134, 1ला तल, भगवती मार्केट, गली लोहेवाली चरखेवाला, चावरी बाजार, मध्य दिल्ली-110006 वर्कः सी-1, इंडस्ट्रियल एरिया, बिजोली, झांसी-284001 (उत्तर प्रदेश)
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	27 मई, 2020
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	24 नवम्बर, 2020
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल के रूप में कार्यरत है	शिव नंदन शर्मा पंजी. सं. IBBI/IP-P00384/2017-18/10641
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल का पता एवं ईमेलः	129, नवजीवन विहार, ऑरविन्दो कॉलेज के निकट, नई दिल्ली-110017 sharmasn@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	129, नवजीवन विहार, ऑरविन्दो कॉलेज के निकट, नई दिल्ली-110017 cirp.dynamic@gmail.com sharmasn@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	13 जून, 2020
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	आईआरपी को उपलब्ध सूचना के अनुसार लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	आईआरपी को उपलब्ध सूचना के अनुसार लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	क) https://ibbi.gov.in/home/downloads ख) भौतिक पताः लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली ने 27 मई, 2020 को डायनैमिक टेक्स्टबुक्स प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्साल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतदद्वारा डायनैमिक टेक्स्टबुक्स प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 13 जून, 2020 को या उससे पूर्व प्रमाणों के साथ अपने दावे जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाणों के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाणों के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये (लागू नहीं) प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाणों को जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

शिव नंदन शर्मा
डायनैमिक टेक्स्टबुक्स प्रिन्टर्स प्रा.लि. के अंतरिम प्रस्ताव कर्मी
पंजी. सं. IBBI/IP-P00384/2017-18/10641
31 मई, 2020, नई दिल्ली

bajaj SUGAR
bajaj GROUP

बजाज हिन्दुस्तान शुगर लिमिटेड
सीआईएन : L15420UP1931PLC065243
पंजीकृत कार्यालय : गोलागोकरणनाथ, लखीमपुर - खीरी, जिला - खीरी, उत्तर प्रदेश २६२८०२
दूरभाष: +९१-५८७६-२३३७५४/५/७/८, २३३४०३, फैक्स: +९१-५८७६-२३३४०१,
वेबसाइट: www.bajajhindusthan.com ईमेल: postalballot@bajajhindusthan.com

सदस्यों को पोस्टलबैलेट नोटिस और शेयरधारकों के ईमेलएड्रेस का अद्यतनीकरण

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, २०१४ के साथ पढे जाने वाले कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) की धारा ११० के अनुसार और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र क्र. १४/२०२० दिनांकित ८ अप्रैल, २०२० तथा सामान्य परिपत्र क्र. १७/२०२० दिनांकित १३ अप्रैल, २०२० ('एमसीए परिपत्र") के संबंध में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली ('ई-मतदान/दूरस्थ ई-मतदान") के माध्यम से सदस्यों द्वारा मतदान किए जाने की सम्मति मांगी गई है ऐसी पोस्टल बैलेट नोटिस, दिनांकित २९ मई २०२० के पोस्टल बैलेट नोटिस में उल्लिखित व्यवसाय के संबंध में शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जिनके नाम कट-ऑफ तारीख यानी २२ मई, २०२० के रोज सदस्यों के रजिस्टर/निक्षेपागार के रिकॉर्ड में मौजूद हैं ऐसे सदस्यों/लाभार्थीओं को ई-मेल द्वारा भेजी गई है। कट-ऑफ तारीख तक जिन सदस्य(स्यों) के नाम पर शेयर्स की पैड-अप वैल्यू पंजीकृत होगी उन्हीं को मतदान के अधिकार दिए जाएंगे और कोई भी व्यक्ति जो उस तारीख तक सदस्य नहीं है, उनके लिए यह पोस्टल बैलेट नोटिस केवल जानकारी के प्रयोजन के लिए ही मानी जाएगी।

पोस्टलबैलेट नोटिस में निम्नलिखित संकल्प शामिलहैं:

अ. क्र.	संकल्प का प्रकार	विवरण
1	विशेष संकल्प	ललितपुर पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (LPGCL), एक समूह कंपनी, द्वारा ₹ २६१.७० करोड की तदर्थ सीमा तक कार्यशीलपूँजी ऋण प्राप्त करने के लिए LPGCL के समस्त, मौजूदा शेयरधारकों हेतु संयुक्त देयता के भाग के रूप में, ललितपुर पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (LPGCL) के ₹ १० प्रत्येक के १,३२,५७,०२५ पूर्णतः समादत्त इक्विटी शेयरों, वर्तमान में कंपनी द्वारा प्रतिधारित १४.५३%, को गिरवी रखकर प्रतिभूति उपलब्ध कराने के लिए कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १८० (१) (अ), १८५, १८६ एवं १८८ तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं), विनियम, २०१५ के विनियम २३ के अंतर्गत अनुमोदन।

कंपनी ने पोस्टलबैलेट की नोटिस भेजने का काम शनिवार, ३० मई, २०२० के रोज पूरा कर लिया है।

मतदान के निर्देशों के साथ पोस्टलबैलेट की यह नोटिस, कंपनी की वेबसाइट www.bajajhindusthan.com पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर और कंपनी के शेयर जिस पर सूचिबद्ध है ऐसे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों के संबंधित अनुभागों में, यानी https://www.bseindiea.com; https://www.nseindia.com. एमसीए परिपत्रों की आवश्यकताओं के अनुपालन में, इस पोस्टलबैलेट के लिए शेयरधारकों को पोस्टलबैलेट फोर्म तथा प्री-पेड व्यावसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टलबैलेट नोटिस की हार्ड-कॉपी नहीं भेजी गई है और शेयरधारकों को चाहिए कि वे अपनी सहमति या असहमति की सूचना केवलदूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से दें। कृपया ध्यान दें कि कंपनी के सदस्यों को नोटिस या पोस्टलबैलेट की भौतिक प्रतियों का कोई प्रेषण नहीं किया जाएगा और COVID-19 मुद्दे के कारण कोई भी भौतिक बैलेट फोर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आवश्यकतानुसार, कंपनी सभी सदस्यों के लिए एक विकल्प के रूप में ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने जा रही है, ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने वोट डालसकें। कंपनी ने ई-मतदान की सुविधा के लिए नेशनलसिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को नियुक्त किया है ताकि सभी सदस्य अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डालसके।

ई-मतदान द्वारा पोस्टल बैलेट पर वोट डालने की सुविधा, निम्नलिखित अवधि के लिए उपलब्ध होगी:
मतदान की शुरूआत: रविवार, ३१ मई, २०२० (सुबह ९.०० बजे से)
मतदान की समाप्ति: सोमवार, २९ जून, २०२० (शाम के ५.०० बजे तक)

इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तारीख यानी २२ मई, २०२० तक कंपनी के जिन सदस्यों के पास इक्विटी शेयर्स एक तो भौतिक रूप में या फिर डीमॅट के रूप में होंगे, वही सदस्य अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाल सकेंगे।

सोमवार, २९ जून, २०२० के रोज शाम ५.०० बजे के बाद ई-मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके पश्चात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा ई-मतदान प्रणाली को बंद किया जाएगा। पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया का संचालन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करने के लिए कंपनी ने मे. गुप्ता बाउल एन्ड एसोसियेट्स, कंपनी सिक्योरिटीज के भागीदार श्री प्रसनजित कुमार बाउल (एम. क्र. ए ३४३४७) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। पोस्टल बैलेट/ई-मतदान के परिणाम ३० जून, २०२० के रोज या उससे पहले घोषित किए जाएंगे। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित किए गए परिणामों को कंपनी की वेबसाइट www.bajajhindusthan.com पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर रखे जाएंगे और बीएसई लिमिटेड (https://www.bseindiea.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ओफ इंडिया लिमिटेड (https://www.nseindia.com) को सूचित किए जाएंगे।

जिन शेयरधारकों को भौतिक पोस्टल बैलेट नोटिस नहीं भेजी जा सकी है ऐसे शेयरधारक ई-मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सके इसके लिए, कंपनी ने उपर उल्लिखित परिपत्र के संबंध में ईमेल एड्रेस के पंजीकरण के लिए अपने रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ उचित व्यवस्था की है।

ईमेल एड्रेस के पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार, इस पोस्टल बैलट के दूरस्थ ई-मतदान के लिए, जिन शेयरधारकों ने अपने ईमेल एड्रेस पंजीकृत नहीं किए हैं और उसके परिणामस्वरूप जिन्हें ई-मतदान नोटिस नहीं भेजी जा सकी है, वे अपने ईमेल एड्रेस कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, लिंक इन टाइम इंडिया प्रा. लि, के साथ इस लिंक: https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html पर क्लिक करने के पश्चात पंजीकरण की बताई गई प्रक्रिया का अनुसरण करके अस्थायी रूप से पंजीकृत करवा सकते हैं। ईमेल के सफल पंजीकरण के पश्चात, शेयरधारक को नोटिस की सॉफ्ट कॉपी और ई-मतदान की विधि मिलेगी और साथ ही युजर आईडी तथा पासवर्ड मिलेगा जिससे इस पोस्टल बैलेट के लिए ई-मतदान हो सके। किसी भी पूछताछ के मामले में, शेयरधारक mt.helpdesk@linkintime.co.in को लिख सकता है।

किसी भी संदेह के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यु) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग युजर मेन्यूअल को देख सकते हैं जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध हैं या टोलफ्री क्र. १८००-२२२-९९० पर कॉलकर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in को एक अनुरोध भेज सकते हैं।

कृते बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड
हस्ता / -
कौशिक अधीकारी
कंपनी सचिव और
अनुपालन अधिकारी
(सदस्यता संख्या: ओसीओस १८५५६)

स्थान : मुम्बई
दिनांक : ३१.०५.२०२०

© CHHAYA
src-website

www.readwhere.com